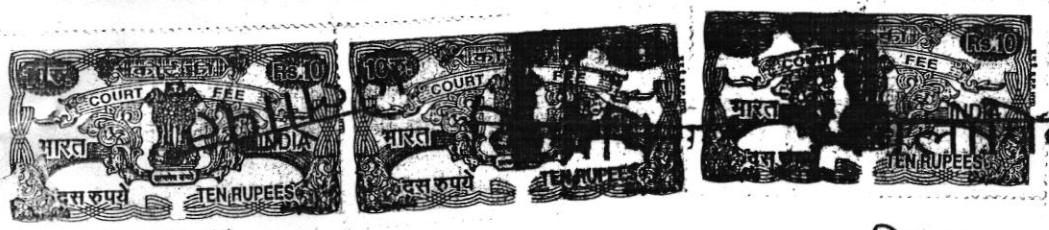

(110)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 ।।/निगरानी/मुरैना/भू0रा0/2018/

निगरानी 2699/2018/मुरैना/भू.रा.

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि. 2/5/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2/5/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1–मलखानसिंह पुत्र सनमानसिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम जाहरपुर तह0 पोरसा जिला मुरैना

2–रमेश सिंह

3–बृजेश सिंह

4–दिनेश सिंह

पुत्रगण रामबहादुर सिंह जाति तौमर ठाकुर निवासी ग्राम लुधावती तह0 पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

..........................आवेदक

बनाम

1–रेशमदेवी पत्नी दुसासनसिंह पुत्री

वेदरिया

2–दिलीपसिंह 3–रामरूपसिंह

4–गिर्राजसिंह 5–दाउजीसिंह

पुत्रगण दुसासन सिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम चन्दुपुरा दतहरा तह0 व जिला मुरैना

6–रनवीर सिंह पुत्र दीमान सिंह

7–कोक सिंह 8–केशवसिंह

9–भगवानसिंह 10–शिवराजसिंह

पुत्रगण रूस्तमसिंह जाति ठाकुर

11–जौरसिंह पुत्र घमण्डी सिंह जाति गुर्जर ठाकुर

समस्त निवासी गण ग्राम जाहरपुर मौजा लुधावती तह0 पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

..........................अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 28/03/2018

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पोरसा जिला

मुरैना के प्र0क0 48/16–17 x अ/27 निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम आवेदक व अनावेदक विवादित भूमि के भूमि स्वामी होकर आधिपत्य धारी होकर घरू बटबारे अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है।

2– यह कि अनावेदक के मन में बध्यान्ती आ जाने के कारण उक्त विवादित भूमि का बटबारा कराये जाने हेतु धारा 178 म0प्र0भू0रा0 संहिता के अन्तर्गत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्र0क0 48/16–17 x अ/27 पर पंजीबद्व किया गया। आवेदक को सूचना मिलने पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की।

3– यह कि आवेदक द्वारा घरू बटबारे से मिली भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दीवानी दावा न्यायालय श्रीमान अपन जिला न्यायाधीश अम्बाह के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्र0क0 14/17 ए0इ0दी0 पर दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आवेदन पर सुनवाई होकर आदेश होना है।

4– यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 16/03/2018 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा विचाराधीन है। जिसमें स्वत्व का निराकरण होना है। दीवानी न्यायालय के आदेश तक बटबारा कार्यवाही स्थगित रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/03/2018 द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को अबैध व कानून के विपरीत मनमाने आधार पर निरस्त कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

निंगरानी के आधार–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

2– यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दीवानी न्यायालय में विचाराधीन दीवानी दावा की प्रतिलिपि एवं आदेश की नकल प्रस्तुत की थी

(110)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2699/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक26-02-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	